न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी—हेमन्त कुमार धनधोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
88 / 2012	07 / 09 / 2012	06 / 01 / 2026

1. पार्वती बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा हाल निवास हथोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा—राज0
2. सुगना बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी जुगल किशोर जाति मीणा निवासी राजपुरा हाल निवास नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूली बाई पत्नी बद्रीलाल जाति मीणा निवासी राजपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. विघा बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी नारायण जाति मीणा निवासी राजपुरा हाल निवास करमापुर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री मनोज शर्मा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री सुरेन्द्र सिंह एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212, आर.टी.एक्ट.

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राजपुरा पटवार सर्किल बम्बूलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 1.25 है. ख.न. 429 रकबा 0.63 है. ख.न. 430 / 610 रकबा 0.35 है. बारानी प्रथम कुल किता 3 रकबा 2.23 है. कृषि आराजी स्थित है। जो पहलें पक्षकारान कें पिता व पति बद्रीलाल के खातेदारी में स्थित थी, उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज हुई इसलिए उपरोक्त आराजी पक्षकारान की खातेदारी में चली आ रही थी, उक्त आराजी कों आगे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के बाद प्रार्थीगण कों यह जानकारी हुई की नामान्तरण संख्या 370 दिनांक 05.10.2010 से दिनांक 09.09.2010 में रिलिज डीड से प्रार्थीगण का तथा अप्रार्थी कम 2 का नाम राजस्व रिकार्ड मे हटाकर उसके स्थान पर अप्रार्थी कम 1 का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ इसलिए वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी कम 1 के खातेदारी मे चली आ रही है। प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में उनके हिस्से की आराजी का हकत्याग नही किया है एक बार आज से करीब 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तहसील पीपल्दा मे जमीन का बंटवारा कराने के लिए तथा आपसी राजीनामा प्रस्तुत करने के लिए गये थें वहाँ पर सभी नें बंटवारा नामा तैयार करवाकर तहसील में पेश कर दिया था, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी नकल लेने पर प्रार्थीगण को पता चला कि अप्रार्थी कम 1 नें प्रार्थीगण को धोखे में रखकर उनके हिस्से की आराजी की रिलिज डीड अपने पक्ष में तहसील पीपल्दा मे तस्दीक करवा ली है और उक्त रिलिज डीड के आधार पर उक्त आराजी मे से प्रार्थीगण के हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अप्रार्थीगण आपस में मिले हुयें जिन्होनें छल विधा सें बंटवारा व राजीनामें के नाम पर प्रार्थीगण से धोखा किया प्रार्थीगण अनपढ थी जिसका नाजायज फायदा अप्रार्थी कम 1 में जालसाजी सें मिल जुलकर किया उक्त रिलिज डीड

का प्रभाव प्रारम्भ से ही शून्य है एवं प्रार्थीगणों के हितो के मुकाले बेअसर है उक्त रिलिज डीड सें अप्रार्थी कम 1 कों कोई अधिकार प्राप्त नही होते है राजस्व भूमि पर राजस्व कानून तथा अन्य किसी भी कानून में हिस्सा रिलिज करने का कोई प्रावधान नही है क्योकि काश्तकार स्वयं किरायेदार है इसलिए वह किरायेदारी किसी के पक्ष में रिलिज नही कर सकता है इसलिए उक्त रिलिज डीड के आधार पर तहसीलदार पीपल्दा को या ग्राम पंचायत को इंतकाल नम्बर 370 दिनांक 05.10.2010 अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में तस्दीक करने का एवं प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में अप्रार्थी कम 1 का नाम खातेदारी मे दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं होता । प्रार्थीगण का उक्त आराजी में अपनें अपनें 1/4–1/4 हिस्से पर शामलाती कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण के हिस्से पर अप्रार्थी कम 1 काश्त करता है और प्रत्येक वर्ष उनके हिस्से की आराजी का मुनाफा प्रार्थीगण को देती है परन्तु अभी अगस्त माह में प्रार्थीगण नें अप्रार्थी कम 1 सें अपने हिस्से की आराजी का मुनाफा देने को कहा तों अप्रार्थी कम 1 नें मुनाफा काश्त राशि देने से मना कर दिया और कहा कि पूरी जमीन मेरी खातेदारी में है और तुम्हारा कोई अधिकार नही है इस पर प्रार्थीगण नें पटवारी हल्का सें खाते की नकले प्राप्त की । इन परिस्थितियो में अप्रार्थी कम 1 कों भविष्य में मुनाफे पर जमीन देना सम्भव नही है परन्तु अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण कों उनके हिस्से की आराजी पर काश्त करनें नहीं देना चाहती है और पूरी जमीन कों हड़पना चाहती है उक्त जमीन कों अन्य दिगर व्यक्ति कों रहन, बैचान, व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रही है प्रार्थीगण ने दिनांक 27.08.2012 को अप्रार्थी कम 1 सें मुनाफा काश्त की राशि मांगी तो अप्रार्थी ने मुनाफा काश्त की राशि देने से मना कर दिया और कहा कि सम्पूर्ण जमीन मेरे खाते में है इस पर प्रार्थीगण को कहा कि यदि तुम मुनाफा राशि नहीं दोगें तों हम काश्त करेगें जमीन पर हकाई करेगें तों अप्रार्थी कम 1 में धमकी दी कि खेत पर आयें तो खून खराबा हो जायेगा जमीन मेरे खाते में है और चन्ददिनो में विवादग्रस्त आराजी कों खुर्द–बुर्द कर दूँगी इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे, और विवादग्रस्त आराजी कों रहन, बेचान, व खुर्द–बुर्द करने से अप्रार्थी कम 1 को रोकें तथा, प्रार्थीगण के हिस्से आराजी के शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न नही करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें, रिलिज डीड प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है जो धोखे से बनाया गया है प्रार्थीगण अनपढ़ है और अप्रार्थी कम 1 नें धौखे सें जाल साझी रचकर उक्त दस्तावेज को बनाया जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण नही थी, उक्त धौखाधड़ी की जानकारी प्रार्थीगण कों दिनांक 28.08.2012 को पटवारी से नकल लेने पर प्राप्त हुई रिलिज डीड के आधार पर प्रार्थीगण का नाम विवादग्रस्त आराजी पर हटा दिया गया है उस पर वापस अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करावें क्योंकि उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी थी, रिलिज डीड से कोई अधिकार अप्रार्थी कम 1 को प्राप्त नही होते है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस पूर्ण रूप से साबित है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है। प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध उक्त आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पारित नहीं की गई तों अप्रार्थी कम 1 अपने मकसद मे कामयाब हो जायेगी, जिससें प्रार्थीगण कों अपरा क्षति होगी और मुद्रा मे मूल्याकन किया जाना सम्भव नहीं होगा और प्रार्थीगण न्याय से महरूम हो जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद

इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी 1/4–1/4 प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम राजपुरा पटवार सर्किल बम्बूलिया खुर्द तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 1.25 है. ख.न. 429 रकबा 0.63 है. ख.न. 430/610 रकबा 0.35 है. बारानी प्रथम कुल किता 3 रकबा 2.23 है. पर प्रार्थीगण को अपने हिस्से आराजी पर काश्त करने से नही रोकें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न अप्रार्थी कम 1 नहीं करें, और न ही उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी कों ता फैसला वाद किसी भी दिगर व्यक्ति को रहन, बैचान, दान व हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नही करें, ऐसा न तो अप्रार्थी कम 1 स्वयं करें, और न ही ऐसा कार्य अपने किसी अन्य प्रतिनिधि में अप्रार्थी कम 1 करवायें और जो भी न्यायोचित सहायता उचित समझें वह भी प्रार्थीगण कों अप्रार्थी कम 1 से दिलवाई जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1 व 2 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम राजपुरा पटवार क्षेत्र बम्बूलिया खूर्द तहसील पीपल्दा में स्थित अराजी ख0 न0 366 रकथा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 429 रकबा 0.63 हेक्टर खसरा नम्बर 430/610 रकबा 0.35 है0 बारानी प्रथम कुल 3 कित्ता रकबा कुल 2.23 हेक्टर भूमि का अप्रार्थिया कम 1 रेकॉडेड खतेदार है, जिसके पक्ष में दिनांक 09–09–2010 को उपपंजियक कार्यालय पीपल्दा के समक्ष प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 ने उपस्थित होकर साक्षीगण के समक्ष में होश हवास के रिलीज डीड पंशीयन करवायी हैं। जिसके आधार पर अप्रार्थी कम। के पक्ष में नियमानुसार इन्तकाल नं. 370 दिनांक 05–10–2010 को खोला गया है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 2 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजियात पर अप्रार्थी 1 का नाम दर्ज हो गया है वक्त रिलीज डीड से अप्रार्थीया कम सम्पूर्ण अराजिय पर काबिज काश्त चली आ रहीं है। इससे पूर्व दिनांक 6.10. 1997 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता श्री बद्रीलाल ने उप पंजीयक कार्यालय पीपल्दा के समक्ष उपस्थित होकर अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में रजिस्टरर्ड वसीयतनामा लेखबद्ध करवा दिया था। प्रार्थीगण को रिलीज डीड निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायलय में केंसिलेशन आफॅ डीड का वाद प्रस्तुत करना चाहिए जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है अप्रार्थीया कम 1 रेकॉर्ड खातेदार है, जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण को इन्तकाल न0 370 को निरस्त करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिये, न्यायालय श्रीमान को इन्तकाल नं. 370 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का मूल वाद क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से परे होने से निरस्त होने योग्य है। इस कारण प्रार्थना–पत्र भी स्वतः ही मेन्टेनेबल नहीं है। अप्रार्थिया कम 1 विवादित आराजियात की रेकॉडेड खातेदार है, जिसे प्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थिया कम 1 के कब्जे काश्त में जबरन बाधा उत्पन्न करते हैं, लड़ाई झगडे पर आमादा होते हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थिया कम 1 प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्ती करने की अधिकारिणी है कि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, अप्रार्थिया क्रम 1 को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी

प्रकार की मदालखत व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे, और ना ही अपने प्रतिनिधियों से उत्पन्न करवाये। दिनांक 30–10–2012 को प्रार्थीगण सायकाल विवादित आराजियात पर नाजायज गिरोह बनाकर पहुंचे, तथा अप्रार्थिया क्रम 1 के साथ मारपीट करने के लिये आमादा हुये व अप्रार्थीया कम 1 को काश्त नहीं करने की धमकी दी। इस कारण अप्रार्थिया कम 1 प्रर्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अप्रार्थिया क्रम 1 का यह प्रम दृष्टया केस हैं अप्रार्थिया कम 1 रेकॉडेड खातेदारा है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थिया क्रम 1 के पक्ष में है । यदि अप्रार्थिया कम 1 के पक्ष में प्रार्थीगण के विरूद्ध विवादित अराजियात के समवन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई, तो अप्रार्थिया कम 1 को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा से किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। अप्रार्थिया कम 1 का काउन्टर प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट पीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे तया अप्रार्थिया क्रम । की ओर से प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना–पत्र विरूद्ध प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर काउन्टर प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजियात में जो कि अप्रार्थिया क्रम 1 के खातेदार की है, प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे, अप्रार्थिया कम 1 को शांति पूर्वक काश्त करने देवे विवादित आराजियात मे किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवायें।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी तथा पिता की मृत्यु उपरांत प्रार्थी 1 व 2 तथा अप्रार्थी 2 व 1 का प्रत्येक का 1/4 –1/4 हिस्सा निश्चित था परंतु अप्रार्थी 1 ने गलत तरीके से हक त्याग करवा कर समस्त भूमि का स्वयं के पक्ष में नामांतरण खुलवा दिया। अतः प्रार्थिया का विरासतन हक होने के कारण विवादित भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि तीनों प्रार्थी 1 व 2 तथा अप्रार्थी 2 ने स्वयं उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर हक त्याग अप्रार्थी 1 के पक्ष में किया है तैयार किया है जो कि पंजीकृत दस्तावेज है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें और उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा पंजीकृत हक त्याग दस्तावेज के माध्यम से प्रार्थी के पक्ष में नामांतरण खोला गया है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा कब्जे संबंधी कोई प्रमाण नहीं है अतः मेरिट के अभाव में प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा